



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी शकील उर्फ टिकारू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 02 वर्ष 06 माह का कारावास व 1,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2021 में अभियुक्त शकील उर्फ टिकारू पुत्र कलुआ निवासी ग्राम शेखपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत के द्वारा वादी के साथ गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 348/21 धारा 504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 16.03.2026 को मा0 न्यायालय सिविल जज (जेडी) द्वितीय जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त शकील उर्फ टिकारू को दोषी पाते हुए 02 वर्ष 06 माह के कारावास व 1,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जनपद बागपत में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध हत्या, डकैती, गैंगस्टर आदि संगीन धाराओं में एक दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं तथा यह जनपद बागपत का टॉप-10 अपराधी भी है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

baghpatpolice



Baghpat Police



अभिराम गौतम
एसपीओ



का0 सुनील कुमार
कोर्ट पैराकार

प्रेस नोट जनपद बागपत दिनांक 16.03.2026

बागपत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-



- 1- शौकीन उर्फ शौकेन्द्र पुत्र निरंजन निवासी ग्राम हेवा थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2- सोनू पुत्र जिले सिंह निवासी मौहल्ला ईदगाह कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3- काला पुत्र महमूद निवासी कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4- कुलदीप पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम कसेरवा कलां थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- थाना छपरौली पुलिस टीम । (01 वारंटी)
- 2- थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम । (01 वारंटी)
- 3- थाना खेकड़ा पुलिस टीम । (01 वारंटी)
- 4- थाना रमाला पुलिस टीम । (01 वारंटी)

